न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 137/2024

वादीगण :-

1. गोपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह
2. चरणसिंह पुत्र रघुनाथसिंह
3. श्यामसिंह पुत्र रघुनाथसिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह

जातियान राव निवासीगण बांजडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. धनसिंह पुत्र छाजूसिंह
2. सुजानसिंह पुत्र छाजुसिंह जातियान राव निवासीगण ग्राम बांजडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजडला तहसील बिलाडा
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (कृषि विकास शाखा) बिलाडा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :-वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं।
प्रतिवादी संख्या 5- सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक :-** 18/04/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.2297 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.0225 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.2522 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/8 वाँ हिस्सा वादी संख्या-1 का तथा 1/8 वाँ हिस्सा वादी संख्या-2 का तथा 1/8 वाँ हिस्सा वादी संख्या-3 का तथा 1&8 वाँ हिस्सा वादी संख्या-4 का तथा 5/24 व० हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 7/24 व० हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इसके लिए तैयार नहीं हुए तो वादीगण अपने 1/8-1/8 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। बाद कारण विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 06.10.2024 को वादीगण के कब्जे व काश्त में दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति सें बंटवाड़ा करने के लिए तैयार नही होने पर बमुकाम ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा मै पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अतः वादीगण द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.2297 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.0225 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.2522 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/8-1/8 वां हिस्से की भूमि को अलग अलग कर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करें तथा न अन्य किसी से करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा वाद दिनांक 16.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बांजडा तहसील की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 109 रकबा 1.2297 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.0225 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.2522 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के हिस्से का नियमानुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	1. गोपालसिंह पि. रघुनाथसिंह 1/4 रहन- मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजडला 2. चरणसिह पुत्र रघुनाथसिंह 1/4 3. श्यामसिंह पुत्र रघुनाथसिंह 1/4 4. सुमेरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह 1/4 रहन- राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खेजडला जाति राव सा.देह खातेदार	109 110	0.6149 1.0112
	कुल योग	2	1.6261
2	1. धनसिंह पुत्र छाजूसिंह 5/12 2. सुजानसिंह पुत्र छाजूसिंह 7/12 जाति राव सा.देह खातेदार	109 110	0.6148 1.0113
	कुल योग	2	1.6261

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.07.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.07.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/11/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

गोपालसिंह धनसिंह वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 137/2024

निर्णय **दिनांक :-** 18/07/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.07.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व षरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा